	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	कार्तिक 6, बुधवार, शाके 1942–अक्टूबर 28, 2020 *Kartika 6, Wednesday, Saka 1942–October 28, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 28, 2020

संख्या प. 33(2) गृह-9/2019पार्ट :-यत यह राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के मध्येनजर दिनांक 18.03.2020 और दिनांक 19.03.2020 को निषेधाज्ञा लागू की थी। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उपधारा (4) के प्रावधानानुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किये जाने की तारीख से 02 माह तक ही प्रभावी था। इस वजह से निषेधाज्ञा की अवधि इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19 मई 2020 के द्वारा उक्त अवधि 30.06.2020 तक एवं अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 30.06.2020 द्वारा दिनांक 31.07.2020 एवं अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 30.07.2020 द्वारा दिनांक 31.08.2020 एवं अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31.08.2020 द्वारा दिनांक 30.09.2020 एवं अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 30.09.2020 द्वारा दिनांक 31.10.2020 तक वृद्धि की गई थी।

अतः राज्य सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मध्येनजर उक्त अवधि को दिनांक 01.11.2020 से 18.11.2020 तक वृद्धि करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
भवानी शंकर,
वरिष्ठ उप शासन सचिव, गृह

6067

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।